अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक– 5/ विविध (RRDA)-01/2025/न० वि० आ० 37

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आवंटनादेश

OSP

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।

राँची, दिनांक– 17/07/26

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची क्षेत्रान्तर्गत रोड एवं नाली निर्माण हेतु राज्य योजना भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचनाओं का विकास तथा क्षमता संवर्द्धन हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान मद के OSP प्रक्षेत्र से राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची को कुल 1,46,50,950/–रू० (एक करोड़ छियालीस लाख पचास हजार नौ सौ पचास रूपये) मात्र आवंटन के संबंध में।**

आदेशः नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के स्वीकृत्यादेश संख्या–242 दिनांक 04-03-2025 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–208 दिनांक 16-01-2025 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पत्रांक–612 दिनांक–07.05.2026 के मांग पत्र के आलोक में उल्लिखित कार्य के सामने कॉलम–vii में अंकित राशि आवंटित की जाती है:–

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	अब तक आवंटित राशि	अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2026–27 में वर्त्तमान में आवंटन (Contingency सहित)	कुल आवंटित राशि (v+vii)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	Construction of PCC Road in different lanes from North side of Kocha Toli to Naya Tola of Vikash nagar at village Khijri.	24228900	23928996.28	10000000	14171285	**14171285**	24171285
2	Construction of P.C.C. Road and Culvert in Santi Nagar, Konge, Jaipur.	5245500	3998524.82	3961295	479665	**479665**	4440960
				कुल राशि		**1,46,50,950/-**	

आवंटित राशि :–कुल 1,46,50,950/-रू०
(एक करोड़ छियालीस लाख पचास हजार नौ सौ पचास रूपये) मात्र।

2. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–A2–भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान–उपयोजना शीर्ष–01–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-A2-01-06-79 से राशि विकलनीय होगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2024-2025) में इस कार्य हेतु कोई राशि आवंटिन नहीं की गयी था अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी प्रतिवेदन शून्य है।

364

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा

7. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–113/त०को०, दिनांक–21.10.2021 द्वारा विभिन्न योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारित की गयी है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3468 दिनांक–08.11.2021 द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में योजना पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

9. उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं का अनुपालन करते हुए आहरित राशि को नगरपालिका की लेखा में सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

10. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

17-4-26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/विविध (RRDA)-01/2025/न० वि० आ० 37 राँची, दिनांक– 17/04/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार कार्यालय, (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-4-26

सरकार के प्रधान सचिव।